



क्रमांक : प.7( )/सामा0/2020/136

दिनांक : 07-03-2020

### कार्यालय आदेश

अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पीस/एसीएस/एमएण्डएच/2020/62 दिनांक 06.03.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक है कि समस्त राजकीय कार्यालयों (ग्रामीण/शहरी) में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हथों, मेज, सीढियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से पोंछा लगावाते हुए विसंक्रमित किया जावे।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में अधिनस्थ समस्त संस्था/विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम निर्देशों तक बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं किया जावे एवं उक्त विसंक्रमण हेतु एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट से दैनिक रूप से पोंछा करवाया जावे।

(डॉ० विजय सरदाना)

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक : 07-03-2020

क्रमांक : प.7( )/सामा0/2020/136

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
- 4 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जनता कॉलोनी, जयपुर।
- 5 संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा।
- 6 जिला कलक्टर, कोटा।
- 7 अतिरिक्त प्रधानाचार्य-प्रथम, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
- 8 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा जोन कोटा।
- 9 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
- 10 अधीक्षक, एमबीएस चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय/जेके लोन चिकित्सालय/रामपुरा जिला चिकित्सालय, कोटा।
- 11 समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
- 12 समस्त प्रभारी अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
- 13 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, यू.एच.टी.सी./आर.एच.टी.सी./सी.एच.सी. सुल्तानपुर।
- 14 प्रभारी अधिकारी, आई.टी. मेडिकल कॉलेज कोटा को भेजकर निर्देश है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 15 प्रभारी अधिकारी, सफाई. मेडिकल कॉलेज कोटा को भेजकर निर्देश है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
- 16 अति0 निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
- 17 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, कोटा।

(डॉ० विजय सरदाना)

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:पीएस/एसीएस/एमएण्डएच/2020/62


दिनांक 06.03.2020

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है एवं वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी COVID-19 के 02 केस पाये गये हैं। उक्त बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम हेतु राज्य में विभिन्न गतिविधियां युद्ध स्तर पर संचालित की जा रही हैं।

आपके अधीन कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है। साथ ही रोकथाम हेतु आवश्यक है कि समस्त राजकीय कार्यालयों (ग्रामीण/शहरी) में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हथ्यों, मेज, सीढियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य सभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) लगावाते हुए विसंक्रमित (Disinfection) किया जावे।


अतः आपके अधीन समस्त संबंधितों को अग्रिम निर्देशों तक बायोमेट्रिक का उपयोग न करने एवं उक्त विसंक्रमण हेतु एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) से दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) करवाये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित करें।

  
(रोहित कुमार सिंह)

अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, समस्त विभाग, राजस्थान सरकार।
4. विभागाध्यक्ष, समस्त राजकीय विभाग, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

  
अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा०